127

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम0 के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 187–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–1–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर प्रकरण कमांक 35/अपील/2013–14.

1. जंगी तनय स्व0 बारेलाल काछी
2. उमरउवा तनय स्व0 बारेलाल काछी
3. भगवानदीन तनय स्व0 बारेलाल काछी
4. पारवती बेवा बारेलाल काछी

निवासीगण ग्राम गुडपारा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. अर्जुन तनय श्री नथुआ काछी
2. हल्कू तनय श्री रमजुवा काछी

निवासीगण ग्राम गुडपारा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 15– – नवम्बर 2016)

– – – – –

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुड़पारा की भूमि खसरा नं0 55, 56, 57, 58, 59, 60, 74, 77, 186, 194, 195, 199, 203, 409 कुल किता 15 रकवा 4.849 है0 के बटवारा नामांतरण पंजी कमांक 09 में पारित आदेश दिनांक 05–7–1994 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 अर्जुन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 35/अपील/2013–14 दर्ज की जाकर आवेदकों को सूचना जारी की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04–1–16 को अपील को ग्राह्य किया जाकर मूल प्रकरण तलब करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिए कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 09 में पारित आदेश दिनांक 05–7–1994 के विरूद्ध अपील दिनांक 07–4–2014 को प्रस्तुत की गई थी तथा प्रश्नगत आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से होने का तथ्य लेख किया है कि दिनांक 02–12–2013 को हल्का पटवारी से आदेश की जानकारी हुई परन्तु ऐसा कोई पटवारी हल्का द्वारा तबाये गये कारणों सहित दस्तावेज जिसमें हल्का पटवारी के हस्ताक्षरों सहित प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्त तथ्य की आपत्ति की गई परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आपत्ति को न मानते हुये अपील को ग्राह्य करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नगत पंजी कमांक 09 में पारित आदेश दिनांक 05–7–1994 के बाद सभी खातेदारों के नाम भूमियां पृथक–पृथक रूप से दर्ज की गई थी। जिसपर अनावेदक कमांक 1 को पृथक खाता कायम करते हुये भूमि खसरा कमांक 74, 77, 186, 194, 195, 199, 203, 409/1 कुल किता 8 रकवा 1.886 हे0 का खाता दर्ज है। जिसमें अनावेदक अर्जुन काछी को भू–अधिकार ऋण पुस्तिका कमांक 663656 प्रदाय की गई थी और

अनावेदक कमांक 2 द्वारा दिनांक 17–1–1995 को बटवारे में प्राप्त भूमि कुल किता 7 कुल रकवा 1.523 हे0 को जरिये रस्टिर्ड विकय पत्र के विकय कर दी। तत्पश्चात प्रश्नगत भूमियों से गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 का हक समाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नगत बटवारे अनावेदक अजुन व उसकी मां मुनिया पूर्णत सहमत थे तथा उनके द्वारा प्रश्नगत पंजी कमांक 09 में पारित आदेश दिनांक 05–7–1994 में स्वयं अपनी उपस्थिति में अगूंठा/हस्ताक्षर किये हैं। ऐसी स्थिति में धारा 5 में लेख किया जाना कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02–12–2013 को हल्का पटवारी से मिलने पर हुई पूर्णतः गलत व निराधार है। इसके अतिरिक्त सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने लगभग 20 वर्ष विलम्ब के संबंध में सकारण आदेश भी पारित नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 04–1–16 निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकों के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी कमांक 09 में पारित आदेश दिनांक 05–7–1994 में अनावेदक कमांक 1 अर्जुन एवं उसकी मां मुनिया के हस्ताक्षर स्वरूप अंगूठा निशानी अंकित है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि अनावेदक को प्रश्नगत आदेश की जानकारी 02–12–2013 को हल्का पटवारी से मिलने से प्राप्त हुई। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि के विकय किये जाने के तर्क का प्रश्न है उनकी ओर से प्रस्तुत विकय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक

कमांक 1 ने अपने स्वयं के हिस्से की भूमि को दिनांक 17–7–1995 को अंतरण किया जा चुका है। अतः अब उसे अनुविभागीय अधिकारी के बटवारा आदेश की अपील की अधिकारित भी नहीं रह जाती है। अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में 20 वर्ष के असाधारण विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है। अनावेदक द्वारा 20 वर्ष के असाधारण विलंब से प्रस्तुत अपील को बिना ठोस आधारों के समय–सीमा में मानकर ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। किसी पक्षकार को विलंब के संबंध में ज्यादा लाभ या सहुलियत प्रदान नहीं की जा सकती। इस संबंध में 2000 आर एन 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5– विलंब की माफी– ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो।"

इसी प्रकार 1989 आर एन 243 गोदावरी बाई विरूद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया– पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिए बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती।"

2013 (III) MPWN 69 मंदिर श्री राम जानकी विरूद्ध राम कुंवर बाई में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5– अपील फाइल करने में विलंब की माफी–विलंब 2687 दिन का – उचित रूप से स्पष्टीकृत नहीं– विलंब

माफ नहीं किया जा सकता। ए आई आर 1962 एस सी 361 तथा (2012)3 एस सी सी 563 अनुसरित।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 04–1–2016 निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित अपील भी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर